प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2020**

विषयः- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि असंगठित क्षेत्र की इकाईयों की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत "पीएम एफएमई-प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा देश में 2.00 लाख सूक्ष्म उद्यमों को लाभान्वित कर लगभग 9.00 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार उत्पन्न करना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य हेतु 37,805 सूक्ष्म उद्यमों को लाभान्वित कर लगभग 1,70,123 कुशल और अर्द्धकुशल रोजगार उत्पन्न करना प्रस्तावित है, जो योजना का लगभग 18.9 प्रतिशत है। भारत सरकार की प्रश्नगत योजना में एक जिला एक उत्पादन (ओडीओपी) अवधारणा के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के सन्दर्भ में लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाना है। मौजूदा समूहों और उपलब्ध कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए राज्य, एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद चिन्हित करेंगे।

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिए अखिल भारतीय आधार पर "पीएम एफएमई-प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" का औपचारिक शुभारम्भ करते हुए दिनांकः 29.06.2020 को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। राज्य सरकार द्वारा योजना को अंगीकृत करते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

3. **<u>योजना के उद्देश्यः-</u>** सूक्ष्म उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्न उद्देश्य हैः-

- जीएसटी, एफएसएसएआई स्वच्छता मानकों और उद्यम आधार के लिए पंजीकरण के साथ-साथ उन्नयन एवं मानकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश हेतु सहायता देना।
- कुशल प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाना।
- बैंक ऋण प्राप्त करने एवं उन्नयन करने हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करना।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

- पूंजी निवेश, सामान्य अवसंरचना तथा ब्राडिंग एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादन संगठनों (एफ0पी0ओ0), स्वयं सहायता समूहों (एस0एच0जी), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना।

4. **<u>लक्ष्य निर्धारणः-</u>**

4.1 प्रश्नगत् योजना वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए लागू की जानी है, जिसमें देश के लिए रु. 10,000 करोड़ का परिव्यय एवं 2 लाख उद्यमियों को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4.2 भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु आगामी पांच वर्षों में 37805 इकाईयों के उच्चीकरण/उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5. **<u>पात्रताः-</u>** योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित वह इकाईयां पात्र होगीं जिनमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। इकाई का स्वामित्व आवेदक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा वह न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण हो। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। परिवार से आशय स्वयं, पति/पत्नी और बच्चों से है।

5.1 **<u>निजी उद्यमियों को सहायता-</u>**अपने उद्यम का उन्नयन करने के इच्छुक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकतें हैं, जिसकी अधितम लागत 10.00 लाख रूपये प्रति उद्यम है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष राशि बैंक से लाभार्थी को ऋण प्राप्त करना होगा।

5.2 योजना में एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं को-आपरेटिव को 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहित सम्पूर्ण मूल्य से श्रंखला समेत पूँजी निवेश हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

5.3 **<u>स्वयं सहायता समूहों को सीड कैपिटल-</u>** कार्यशील पूँजी तथा छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वंय सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रूपये की दर से प्रारम्भिक पूँजी प्रदान की जायेगी। अनुदान के रूप में प्रारम्भिक पूँजी एस0एच0जी0 के संघ स्तर पर दी जायेगी, जो बदले में एसएचजी को पुनः भुगतान किये जाने हेतु एसएचजी के माध्यम से ऋण के रूप में सदस्यों को दी जायेगी।

5.4 **<u>कामन आधारभूत संरचना-</u>** एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं, राज्य के स्वामित्व वाली एजेन्सियों और निजी उद्यमियों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज, पैकिंग एवं इन्क्यूवेशन सेण्टर समेत सामान्य अवसरंचना के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

5.5 **<u>ब्राण्डिंग और मार्केटिंग हेतु सहायता-</u>** सामान्य पैकेजिंग और ब्राण्डिग विकसित करने, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण के उपबन्ध के साथ सामान्य पैकिंग एवं ब्रांडिंग का विकास करने तथा उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिए खाद्य संरचना पैरामीटरों का अनुपालन करने के लिए ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाते हुए योजना के अन्तर्गत एफपीओ/एसएचजी/ सहकारिताओं अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एसपीवी को ब्रांण्डिग और मार्केटिंग सहायता दी जायेगी। इन संगठनों को सहायता उनके द्वारा तैयार की गयी डीपीआर और राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर दी जायेगी। ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता कुल व्यय की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

6. **<u>योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया-</u>**

योजना हेतु भारत सरकार एक एमआईएस तैयार करेगी, जिसकी समस्त प्रक्रिया आनलाईन होगी। सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें एफ0एम0ई0 पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। क्षेत्र स्तरीय सहायता के लिए नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, आवश्यक पंजीकरण तथा एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्यम आधार एवं जी0एस0टी0 प्राप्त करने के लिए हैंण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध करायेंगे।

6.1 एफपीओ/स्वयं सहायता समूहों/सहकारिताओं, सामान्य अवसंरचना एवं विपणन तथा ब्रांण्डिंग के समर्थन के लिए आवेदन डीपीआर समेत राज्य नोडल एजेंसी को भेजे जा सकते हैं। राज्य नोडल एजेन्सी अनुदान के लिए परियोजना को अवगत कराएंगे और बैंक ऋण के लिए संस्तुत करेंगे।

6.2 सरकार द्वारा अनुदान ऋणदाता बैंक में लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। यदि ऋण की अंतिम किश्त के संवितरण के 03 वर्ष की अवधि के पश्चात लाभार्थी खाता अभी भी मानक हो और उद्यम प्रचालनशील हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में समायोजित की जायेगी। ऋण में अनुदान राशि के लिए बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

7. **<u>संगठनात्मक संरचनाः-</u>**

7.1 **<u>भारत सरकार स्तर-</u>** योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर तथा जनपद स्तर पर समितियां गठित की जानी है। भारत सरकार की स्तर पर मा0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अध्यक्षता में अन्तरमंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति, अपर सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना कार्यपालक समिति और उद्योग विशेषज्ञ की अध्यक्षता में प्रशिक्षण समिति का गठन किया गया है।

7.2 **<u>राज्य स्तरः-</u>**

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति, जिसकी संरचना निम्नवत होगी, का गठन किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कौशल विकास	सदस्य
11	मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीवका मिशन	सदस्य
12	राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि	सदस्य
13	संस्थान-प्रमुख राज्य तकनीकी संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
14	नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य

http://bhsarladesh.up.gov.in

.....4/-

15	एनएसडीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
16	एसएलबीसी0 के प्रतिनिधि	सदस्य
17	एनसीडीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
18	राज्य सरकार द्वारा नामित बैंकिंग/फाइनेन्स एवं मार्केटिंग के विशेषज्ञ	सदस्य
19	राज्य नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

राज्य सरकार किसी अन्य को भी उपरोक्त समिति का सदस्य नामित कर सकती है।

7.3 **राज्य स्तरीय समिति के कार्यः-**राज्य स्तरीय समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्वेक्षण/अध्ययन का अनुमोदन
2. राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत पीआईपी का अनुमोदन
3. राज्य और जनपदीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण गतिविधियों का अनुमोदन
4. राज्य स्तरीय संस्थानों, उद्यमों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कैलेण्डर का अनुमोदन
5. राजकीय संस्थानों का सुदृढ़ीकरण का अनुमोदन
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संस्तुत करने हेतु समूहों के अनुदान प्रस्ताव का अनुमोदन
7. आम सुविधाओं, समूहों विपणन और ब्राण्डिग के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन

उपरोक्त के अलावा राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्यों को भी स्वीकृत करेगी:-

1. योजना के समग्र लक्ष्य के अनुरूप योजना के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करना।
2. पोर्टल के माध्यम से योजना के प्रगति का अनुश्रवण करना
3. अन्य संबंधित संगठनों के साथ तालमेल सुनिश्चित करना।
4. योजना के तहत वित्त पोषित इकाईयों/सीएफसी का निरीक्षण सुनिश्चित करना

7.4 **जनपद स्तरीय समितिः-**

जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) में पंचायत बैंक विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सामुदायिक संस्थानों, एफ0पी0ओ0/एस0एच0जी0 आदि का प्रतिनिधित्व होगा। कमेटी का गठन किया जाना है, समिति की संरचना निम्नवत है:-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
3	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
4	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	एक ग्राम पंचायत का सरपंच/प्रधान	सदस्य
6	एक खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
7	जनपदीय लीड बैंक प्रबन्धक	सदस्य
8	प्रतिनिधि-एसएचजी/एफपीओ	सदस्य
9	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
10	जनपदीय प्रतिनिधि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
11	जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	सदस्य

.....5/-

http://shasanadesh.up.gov.in

7.5 जनपद स्तरीय समिति के उत्तरदायित्व एवं कार्यः- जनपद स्तरीय समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व एवं कार्य होंगे:-

1. व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदनों का अनुमोदन
2. राज्य नोडल एजेन्सी को कामन इन्फ्रास्ट्रेक्चर और समूहों के आवेदनों पर संस्तुति
3. जनपदीय रिसोर्स पर्सन द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किये जा रहे हैण्ड होल्डिंग का अनुश्रवण
4. डैशबोर्ड एवं पोर्टल के माध्यम से योजना का अनुश्रवण
5. सभी संस्थानों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना

8. जनपदीय रिसोर्स पर्सन का चयन एवं कार्य:-

8.1 योजना हेतु जनपद स्तर पर लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य नोडल एजेन्सी (एस0एन0 ए0)/ निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय रिसोर्स पर्सन का चयन किया जायेगा, जिसकी योग्यता निम्नवत होगी:-

1. प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य अभियन्त्रण में डिप्लोमा/ डिग्री
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन नये उत्पाद विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्यागों को कंसल्टेन्सी सेवायें प्रदान करने में 03 से 05 वर्ष का अनुभव
3. यदि खाद्य प्रौद्योगिकी में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग, डी0पी0आर0 की तैयारी और प्रशिक्षण में अनुभव वाले व्यक्ति लिये जा सकते हैं।

8.2 जनपदीय रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) द्वारा उद्यमियों को डी0पी0आर0 तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/लाईसेन्स, उद्योग आधार, जी0एस0टी0 पंजीयन आदि हेतु हैण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

9. **<u>वित्तीय प्रबन्धन:-</u>**

योजना का वित्त पोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। योजनान्तर्गत क्लस्टर एप्रोच एवं शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। "पीएम एफएमई-प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" के क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में वृहद रोजगार सृजन होगा तथा प्रदेश में उत्पादित कृषि/औद्यानिक उत्पाद का मूल्य संवद्र्वन होगा। योजना का प्रथम वर्ष में व्यय, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा किया गया हो या केन्द्र सरकार द्वारा, का वहन भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत किया जायेगा, जिसे आगामी वर्षों में केन्द्र एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में समायोजन किया जायेगा। कतिपय कार्य जैसे-प्रशिक्षण, प्रशासनिक मद, एमआईएस, योजना का प्रचार-प्रसार, भारत सरकार द्वारा नमित संस्थाओं आदि कार्यो पर शतप्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बैंक अनुदान वितरण एवं अन्य बैंकों से समन्वय हेतु चयनित किया जायेगा, जिसके माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय धनराशि वितरित की जायेगी। योजना में लिये गये ऋणों पर ऋण गारण्टी की सुविधा का लाभ नेशनल क्रेडिट गारण्टी ट्रस्टी कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

10. **<u>विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंसः-</u>** ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जो इस योजना में लाभ प्राप्त करेगी, उन इकाईयों को अन्य योजनाओं जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, ग्रामीण उद्यमिता स्टार्टअप कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ब्याज उपादान योजना, प्रधान मंत्री मुद्रायोजना, एएसपीआईआरई योजना एसएफयूआरटीआई, एमएसएमई की सार्वजनिक क्रय नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की-कोल्डचेन/बैकवर्ड-फारवर्ड लिंन्केज/एग्रो क्लस्टर आदि योजनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले अन्य योजनाओं से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नगत योजना में संशोधन/परिवर्तन हेतु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश अधिकृत हैं।

.....6/-

http://shasanadesh.up.gov.in

11. नोडल विभाग/नोडल एजेन्सी/नोडल अधिकारी

(1) उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग है।

(2) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेन्सी तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी है।

(11) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश को यथा-स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-74/2020/536(1)/58-2-2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न भारत सरकार से प्राप्त समस्त दिशा-निर्देशों की प्रति सभी संबंधित को हस्तगत करवाकर अवगत करायें, एस0एल0यू0पी0 एवं पी0एम0यू0 गठन के संबंध में समस्त कार्यवाही भारत सरकार द्वारा तय समय-सीमा के अनुरूप कर शासन को स्टेट नोडल एजेन्सी/नोडल अधिकारी के रूप में भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर यथा समय शासन को सूचित भी करें।
10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तपर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाद्य प्रसंस्कररण अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11- नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
13- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
14- वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
15- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

.....7/-

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-74/2020/536(2)/58-2-2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पवर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य् माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in